भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1875

दिनांक 4 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

मातृ देखभाल के लिए पॉइंट-ऑफ-केयर नैदानिक उपकरण

1875: श्रीमती सुधा मूर्ती:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या मंत्रालय ने प्रसवोत्तर रक्तस्राव से होने वाली मृत्यु को रोकने तथा रक्तस्राव के कारणों की त्वरित पहचान हेतु रोटेशनल थ्रोम्बोइलास्टोमेट्री (आरओटीईएम) जैसे उन्नत पॉइंट-ऑफ-केयर रक्त परीक्षण उपकरणों का मूल्यांकन किया है;

(ख) रक्त घटक पृथक्करण इकाइयों से सुसज्जित सरकारी जिला चिकित्सा महाविद्यालयों में इन त्वरित नैदानिक प्रणालियों की वर्तमान उपलब्धता क्या है; और

(ग) क्या सरकार इन जीवन-रक्षक मशीनों की खरीद को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अथवा 'लक्ष्य' पहल जैसी चल रही मातृत्व योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित करने का विचार कर रही है, ताकि इन्हें वंचित समुदायों तक सुलभ बनाया जा सके?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) जी नहीं ।

(ख) ये त्वरित नैदानिक प्रणालियाँ उन सभी सरकारी जिला चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं, जिनमें रक्त घटक पृथक्करण इकाइयां मौजूद हैं।

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, भारत सरकार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के माध्यम से प्राप्त उनके प्रस्तावों के आधार पर वंचित समुदायों सहित सभी के लिए जीवन रक्षक उपकरण, मशीनें और लॉजिस्टिक स्वीकृत करती है।
